न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — **श्री बी.एल.कोठारी**
आई.ए.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
हीराराम पुत्र वगतारामजी जाति विश्नोई निवासी सेडीया तहसील सांचौर जिला जालोर		1.हरीकिशन पुत्र वगता 2.मानाराम पुत्र वगता 3.रिडमल पुत्र वगता 4.पारू वेबा वगता जाति विश्नोई निवासी सेडिया तहसील सांचौर जिला जालोर 5.सरकार जरिए तहसीलदार साचौर

प्रकरण संख्या अपील — **01/2017**

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-
1-श्री जगदीश गोदारा अभिभाषक अपीलान्ट
2-श्री चन्दनमल छीपा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4
3-श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-14.11.2017

1. अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा यह अपील तहसीलदार सांचौर के आदेश दिनांक 06.06.1992 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जो ग्राम सेडीया के नामान्तरकरण संख्या 57 पर पारित किया गया है।

2. अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित नामान्तरकरण तलब किया गया।जो प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस सुनी गई।

3. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सेडिया में अपीलार्थी के पिता वगता की खातेदारी आराजी आई हुई है, जिसके नये खसरा नबंर 89,90,91,250,252,253 कुल रकबा 9.10 हैक्टर है। उक्त आराजी अपीलार्थी के पिता वगता, चौखा, लच्छा पिता वरदा व अन्य सह खातेदारो के नाम है। इस आराजी के पुराने खसरा नंबर 298, 366, 394, 367 है। अपीलार्थी के पिता वगता का देवसान (मृत्यु) सन् 1991 में हुई थी। मृत्यु होने के बाद पटवारी हल्का ने वगता का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगने पर वगता के वारिशान के नाम की सूची व दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। उसके बाद उक्त नामान्तरकरण भरा जाकर समस्या समाधान शिविर 1992 में तहसीलदार ने उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया व अपीलार्थी का नाम हीराराम होते हुये भूल से हरीराम दर्ज कर दिया। अपीलार्थी द्वारा फौतेदगी नामान्तरकरण बाबत पटवारी को दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद नामान्तरकरण में हरीराम नाम दर्ज कर दिया उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

4. अपीलांट के अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टस द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ वारिश प्रमाण पत्र दिए जाने के बावजूद उक्त नामान्तरकरण भरते समय हीराराम की जगह हरीराम किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश करने से पूर्व दस्तावेजो की जांच कर नामान्तरकरण पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक था। परन्तु ऐसा न करने से किया गया आदेश खारिज योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण को भरते समय हरीराम की बजाय हीराराम लिखना था। परन्तु उक्त नाम पैनमिस्टेक से गलत लिखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय पारित करने से पूर्व प्रस्तुत दस्तावेजो को देखकर व उनका मिलान कर उक्त आदेश पारित करना था परन्तु उक्त भूल पैनमिस्टेक है। जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण का कोई ज्ञान नहीं था। दिनांक 26.12.2016 को पटवारी हल्का के पास गया व जमाबंदी की नकल मांगी। उक्त नकल ऋण बाबत बैक कर्मचारियो ने मंगवाई थी। पटवारी ने खाता

देखकर बताया की अपीलांट नाम हीराराम की बजाय हरीराम लिखा हुआ है। तहसील ऑफिस से नामान्तरकरण व अन्य कागजो की नकल मांगो।अपीलार्थी दिनांक 27.12.2016 को तहसील कार्यालय से दस्तावेजो की नकल मांगी। उक्त नकल 29.12.2016 को जारी की गई । नकल को देख तो पता चला कि फोतेदगी नामान्तरकरण में हीराराम की बजाय हरीराम दर्ज हो गया है। दिनांक 29.12.2016 को पटवारी ने जमाबंदी की नकल दी उसमें भी हरीराम लिखा हुआ है। उक्त नकलो को देखने से एवं नामान्तरकरण संख्या 57 को देखकर जानकारी हुई। जानकारी के अनुसार अपील अन्दर म्याद पेश है। अत: अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलधीन आदेश निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के वकील ने बहस में अपीलांट की बहस का समर्थन किया व प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण को भरते समय हरीराम की बजाय हीराराम लिखना था। परन्तु उक्त नाम पैनमिस्टेक से गलत लिखा गया है। हरीराम के हीराराम किया जाता है तो कोई आपति नहीं है।

6. सरकारी अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि प्रकरण जांच हेतु तहसीलदार सांचोर को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

7. बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। बाद सुनवाई के अपीलांट की अपील न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं। प्रकरण में ग्राम सेडिया का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 06.06.1992 जो कि समस्या समाधान शिविर 1992 में वगता के फौत होने पर मृत्यु एवं वारिशदार प्रमाण पत्र के आधार पर खोला गया है। अपीलांट द्वारा अपील में व्यक्त किया गया है कि नामान्तरकरण भरते समय हीराराम की जगह हरीराम अंकित किया गया है। जिसका समर्थन रस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के अभिभाषक द्वारा किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार यह अंकन प्रथम दृष्टया ही पैनमिस्टेक यथा लिपिकीय भूल से गलत अंकन किया जाना पाया जाता है। प्रकरण में तहसीलदार सांचोर को यह निर्देश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि प्रकरण में संबंधित सभी वारिशान के संबध में साक्ष्य सबूत लेकर एवं संबंधित पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुये नियमानुसार जांच कर नामान्तरकरण स्वीकार/अस्वीकार किया जाने की कार्यवाही की जावे।

7. अत: अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सांचोर को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि नामान्तरकरण स्वीकार/अस्वीकार करने से पूर्व संबंधित सभी वारिशान के संबध में साक्ष्य सबूत लेकर एवं संबंधित पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुये नियमानुसार जांच कर विधी सम्मत आदेश पारित किया जावे। अपीलांट को भी निर्देश दिये जाते है कि वह भी तहसीलदार सांचोर के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 14.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर